मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी-1/विविध-73/107 भोपाल दिनांक 28/01/2022

// आदेश //

कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 30 (3) के अन्तर्गत श्री लोकेन्द्र पांचाल, भृत्य/चौकीदार, मूल कृषि उपज मण्डी समिति तराना जिला उज्जैन को समान पद एवं वेतनमान में आदेश जारी दिनांक से अन्य आगामी आदेश तक कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन में रिक्त वाहन चालक पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण किया जाता है।

उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी की सेवा शर्ते निम्नानुसार रहेगी:-

1. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी पर मंडी अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (4) (क) के अनुसार मूल मंडी में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा।
2. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित कर्मचारी के मासिक वेतन एवं भत्ते कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन जिला उज्जैन से ही देय होगें।
3. प्रतिनियुक्ति कर्मचारी की सेवा में आवश्यकता न होने पर कभी भी सक्षम स्वीकृति की अनुमति लेकर वापस की जा सकती है।

(विकास नरवाल)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

क्रमांक/मंडी कार्मिक/बी-1/विविध-73/108 भोपाल दिनांक 28/01/2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय उज्जैन।
3. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मंडी समिति तराना/उज्जैन जिला उज्जैन। सबंधित कर्मचारी की भारमुक्ति/उपस्थिति से तत्काल अवगत करायें।
4. श्री लोकेन्द्र पांचाल, भृत्य/चौकीदार, मूल कृषि उपज मण्डी समिति तराना जिला उज्जैन की ओर पालनार्थ।
5. आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल.

D:\marve-13\Gyansingh\D-marawi-doc 2.doc